(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 57 / 2024

पंजीकरण सं. :– 2024 / 135

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रामेश्वर पुत्र श्री मोहनलाल नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम अरडान तहसील अटरू जिला बारॉ राज0 (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स नागर किराना स्टोर, मेन रोड, अरडान तहसील अटरू जिला बारां
2. श्री रविकांत नागर पुत्र श्री मोहनलाल नागर जाति धाकड़ निवासी बजाज शॉरूम के पीछे, वार्ड नं. 11, अटरू जिला बारॉ राज0 (डीलर) मैसर्स गणेश ट्रैडर्स, बजाज शॉरूम के पास, वार्ड नं. 11, अटरू जिला बारॉ राज0

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.(अवकाश पर) (प्रार्थी)

2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 27.08.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2023 को मै. नागर किराना स्टोर, मेन रोड, अरडान तहसील अटरू जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रामेश्वर पुत्र श्री मोहनलाल नागर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **प्योर देशी घी (डेयरी नाइस) मूल गत्ते पैक** 20 लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **प्योर देशी घी (डेयरी नाइस) मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विकेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **प्योर देशी घी (डेयरी नाइस) मूल गत्ते पैक** 02 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री रामेश्वर पुत्र श्री मोहनलाल नागर (विक्रेता एवं मालिक) को 1180 / – रूपये (अक्षरे ग्यारह सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **प्योर दे[illegible]री नाइस) मूल गत्ते पैक** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड [illegible] –2005 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान [illegible] को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की [illegible] ए.एच.–2005 नियमानुस[illegible] नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे [illegible] बांध कर नियमानुसार सी[illegible] किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों [illegible] आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:23:49 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रामेश्वर पुत्र श्री मोहनलाल नागर (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/570 दिनांक 10.01.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 2085/PHL/kota/Act/2023/27 दिनांक 03.01.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **प्योर देशी घी (डेयरी नाइस) मूल गत्ते पैक** धारा 3(1)(zz)(iv) & (vi) के तहत **असुरक्षित(अनसेफ)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच रेफलर फूड लैब सीएफटीआरई, मैसूर से करवायी गई जिनके जॉच सर्टिफिकेट संख्या 308F/FSSA/2024 दिनांक 02.05.2024 के अनुसार धारा **3(1)(zx)** के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया। प्रकरण में निर्णय दिनांक को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां अवकाश पर रहने के कारण उनके द्वारा उनकी बहस पूर्व में हीं सुना दी गई, उनसे दूरभाष पर वार्ता करने पर अवगत करवाया गया कि परिवाद में अंकित तथ्यों को हीं मेरी ओर से बहस के रूप में लिखा जावें। प्रकरण में आज दिनांक को अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **प्योर देशी घी (डेयरी नाइस) मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह रेफलर फूड लैब सीएफटीआरई, मैसूर की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standrad)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः निवेदन है कि हमारे विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही खारिज फरमायी जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि रेफलर फूड लैब सीएफटीआरई, मैसूर की जांच रिपोर्ट 308F/FSSA/2024 दिनांक 02.05.2024 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **प्योर देशी घी (डेयरी नाइस) मूल गत्ते पैक** निर्दिष्ट रेफलर फूड लैब सीएफटीआरई, मैसूर की जांच रिपोर्ट 308F/FSSA/2024 दिनांक 02.05.2024 से धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standrad)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 25,000/– रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क** [illegible] जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:23:49 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)